G.O File

संख्या-2786/ III(2)/18-36(एम0एल0ए0)/2017टी0सी0

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 18 जून, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद पौडी गढवाल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर में विभिन्न 02 कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौडी गढवाल द्वारा विभिन्न 02 कार्यो हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के कार्य के आगणनों, जिनकी लम्बाई 0.500 किमी0+ 02 सेतु तथा कुल लागत **₹ 42.09 लाख** है, पर **विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 42.09 लाख (रू0 बयालिस लाख नौ हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सडक निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00 -24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)– स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)– वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31–03–2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें–337–सड़क निर्माण कार्य–03 राज्य सेक्टर–0302 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य **(5054–04–800–03–02 से स्थानान्तरित)** के नामे डाला जायेगा।

(3) **यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–213/XXVII/(2)/2018 दिनांक 14 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– /III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, पौडी।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौडी गढवाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, बारहवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौडी।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा।
10. गार्ड फाईल।

Photo copy Attested
Satya Prakash

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

सं0 524/20 याला0
दिनांक -21-6-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1. मुख्य अभि0 क्षे0 का0 लो0नि0वि0 पौडी
2. अधी0 अभि0 12 वॉ वृत्त पौडी
3. अधि0 अभि0 नि0 ख0 लो0नि0वि0 दुगड्डा,
4. अधि0 अभि0 आई0 टी0 सैल (विभागाध्यक्ष) कार्यालय
5. कनि0 अभि0 (प्रा0)/बजट कार्यालय प्रमुख अभि0 एवं विभागाध्यक्ष

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
... एवं विभागाध्यक्ष

शासनादेश संख्या–2786/III(2)/18–36(एम0एल0ए0)/2017 टी0सी0 दिनांक 08 जून, 2018 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–यमकेश्वर के अन्तर्गत नालीखाल–बनचूरी–नैल–कपोल–काटल मोटर मार्ग के किमी0 5 के ढिकेरा नामक स्थान में 24 मीटर स्टील गर्डर सेतु एवं एप्रोच मार्ग 0.500 किमी0 का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	0.500+ 24 mtr.	12.42	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मीटर स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	200 mtr.	29.67	0.10
	कुल	**0.500+ 02 bridge**	**42.09**	**0.20**

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(जीवन सिंह)
उप सचिव

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता 05 JUL 2018 12 वा वृत्त लो0नि0वि0 पौड़ी गढ़वाल

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

प्र0सं0: 1372/01 या0का0–पौड़ी/2018 दिनांक: 2/7/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
(I) अधीक्षण अभियन्ता, 12वां वृत्त, लो0 नि0 वि0, पौड़ी
(II) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, दुगड्डा,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

1625
6/7/2018

Pucca copy Attested

पृ0सं0 1625/14 या0का0/2018 दिनांक 10/07/18
प्रतिलिपि अधि0 अभि0 नि0 खण्ड लो0नि0वि0 दुगड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0

स्टाफ ऑफिसर
12वां वृत्त लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल